

1115

कमील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 152 CPC
वसपत्रित द्वारा। 5। सीपीवी पेश हुआ। प्रार्थना

पत्र के संलग्न सम्वत् 2070-73 की जमाबंदी
भी पेश की। तदुपलक्ष्य संग लिखित भी पत्रों के
0। डिलंक 9/1/57 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना

पत्र व रिपोर्ट में निम्नलिखित डिडी डिलंक 22¹²/₇₇
में पं.नं. 185/57 मु.नं. 2 एवं पं.नं. 186/57 मु.नं. 2

अंकित रिपोर्ट में जो सम्वत् 2062-65 की
जमाबंदी में अंकित है जो सही नहीं है।

जमाबंदी सम्वत् 2070-73 में पं.नं. 195/57 एवं
196/57 हैं जिसे दुबारा कस्बाग पाहा है।

पत्रावली का व वर्तमान जमाबंदी का अवलोकन
किया गया। वर्तमान जमाबंदी के पत्रावली पर पत्रावली

नहीं सही होने की रिपोर्ट की है। अतः प्राप्त रिपोर्ट
व प्राप्त जमाबंदी के आधार पर कमील वादी का

प्रार्थना पत्र 0/5। 5। 152 CPC वसपत्रित द्वारा 152 CPC सीपीवी
किया जाता है व निम्नलिखित डिडी में रिपोर्ट अनुसार

संशोधन का नोट- अंकित हो। पत्रावली के लिये
मुद्रा होकर नाममात्र के सभी नाम डारखिल

इस प्रकार है।



उपखण्ड अधिकारी
भंगरिया